

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या - 1653 / 2007 / अजमेर.

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
जरिये श्री पी. के. गुलाटी, वरिष्ठ प्रबन्धक.  
बनाम

.....प्रार्थी.

1. राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक, अजमेर
2. श्रीमती चेतनबाला पत्नी गिरधर सिंह सखलेचा,  
निवासी 1405 पंचरत्न औपरा हाऊस, मुम्बई-400004

.....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील पारीक, अभिभाषक  
श्री आर. के. अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से.

.....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25 / 08 / 2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अजमेर द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) वृत्त-अजमेर के प्रकरण संख्या 414 / 2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.2005 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति ए.एम.सी. नं. 592(i)/XXVI, कियोस्क (पेट्रोल पम्प परिसर), ब्यावर रोड़, अजमेर क्षेत्रफल 6000 वर्गफीट (557.33 वर्गमीटर) का हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रूपये 9,00,000/- में विक्रय करने हेतु निष्पादित किया गया विक्रय पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक अजमेर के समक्ष दिनांक 24.8.2000 को पेश किया गया। उप पंजीयक द्वारा क्षेत्र की वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर रूपये 20,000/- प्रति वर्गगज एवं निर्माण सहित सम्पत्ति की कुल मालियत रूपये 1,16,17,076/- प्रस्तावित करते हुए तदनुसार कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूली हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 47ए(1) के तहत कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष रेफरेंस पेश किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त रेफरेंस को यथावत स्वीकार करते हुए प्रार्थी कम्पनी से कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति सहित कुल रूपये 10,87,900/- वसूली का आदेश दिनांक 31.12.2005 को पारित किया गया। प्रार्थी कम्पनी के द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1167 / 2007 प्रस्तुत की गयी, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2007 से निस्तारित करते हुए प्रार्थी कम्पनी को निर्देशित किया

लगातार.....2

गया कि मुद्रांक अधिनियम की धारा 65 के तहत चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू ऑथोरिटी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जावे, अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति वर्ष 1976 से ही प्रार्थी कम्पनी के किराये पर थी। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन एवं सीधे नियंत्रण में है तथा भारत सरकार के एकाधिकार उत्पाद पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति एवं वितरण का कार्य करती है। अतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आवश्यक रूप से भारत सरकार का ही अंग है। इसलिए यह कम्पनी भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में परिभाषित 'राज्य' की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.2(3) एफडी/ग्रुप-IV/93/1-87, एस.ओ. 216 दिनांक 7.3.94 के अनुसार प्रार्थी कम्पनी द्वारा निष्पादित विक्रय-पत्र में दर्शायी गयी वास्तविक राशि पर ही मुद्रांक शुल्क प्रभारित की जावेगी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 212 सोमप्रकाश बनाम भारत सरकार, (1994) 26 प्रशासनिक ट्रिब्यूनल केसेज 83 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्व कर्मचारी संगठन व अन्य बनाम अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के ए.आई.आर. 1987 गुजरात 19 एम.एस.देसाई एण्ड कं० बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ए.आई.आर. 1966 राजस्थान 1(वी 53 सी 1) मोहनलाल बनाम राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्तों को उद्धरित किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1994 (1) वेस्टर्न लॉ केसेज (राज.) 756 का हवाला देते हुए कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) ने माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के इन बाध्यकारी निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त को नजरअंदाज करते हुए पारित किया है। इसलिए कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त योग्य है।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति लम्बे समय से किराये पर होने के कारण इसका मूल्यांकन कम होगा तथा इसके मूल्यांकन हेतु प्रचलित डी.एल.सी. दरों को आधार नहीं माना जा सकता। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (1) आर.आर.टी. 345, राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (2) आर.आर.टी. 889, 1401; 2010(2) आर.आर.टी. 1078, राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त 1996 आर.आर.डी. 24, 1997

**RRD 352** एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निगरानी संख्या 1327/2005/अजमेर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23/09/2011 को उद्धरित किया गया।

5. उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किये जाने तथा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. बहस के दौरान अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित विक्रय पत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार की ओर से निष्पादित नहीं होने से प्रार्थी कम्पनी के इस दस्तावेज को भारत सरकार के पक्ष में निष्पादित होना नहीं माना जा सकता। उनका यह भी कहना है कि बिक्रीत सम्पत्ति पर मौके पर पेट्रोल पम्प संचालित होने से इसका बाजार मूल्य काफी अधिक था। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स; 2010 (2) RRT 731 हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार एवं आर.आर.टी 2012 (1) पेज 532 स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य बनाम अम्बरिश टण्डन व अन्य तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2006) आर.बी.जे. (13) 305 एवं 2006 (1) डी.एन.जे. (राजस्थान) 452 को उद्धरित करते हुए कथन किया कि किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक की अवस्थिति के अनुसार ही की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में निर्विवादित रूप से एक संचालित पेट्रोल पम्प की सम्पत्ति का विक्रय हुआ है, जिसकी मालियत की गणना वाणिज्यिक दर से ही की जा सकती है। अतः भूमि का मूल्यांकन प्रचलित वाणिज्यिक दर से करते हुए मालियत निर्धारित किया जाना न्यायसंगत एवं उचित है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रार्थी कम्पनी की निगरानी अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 के अनुसार विक्रय विलेख में दर्शाई गई मालियत पर देय मुद्रांक शुल्क बाबत कथन किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 निम्नानुसार है :-

क्रमांक : प.-2(3)एफडी/गुप 4/93/1/87

दिनांक 7 मार्च, 1994

लगातार.....4

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम-7) द्वारा राजस्थान में यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम-2) की धारा 9(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार इसके द्वारा आदेश देती है जहां अचल सम्पत्ति का विक्रय सरकार द्वारा या सरकार के निमित्त किया गया हो वहां स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य के बजाय विलेख में कथित वास्तविक प्रतिफल पर प्रभारित किया जायेगा।

9. प्रार्थी कम्पनी की ओर से उद्धरित राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत केवल सरकार या सरकार के निमित्त किये गये अचल सम्पत्तियों के विक्रय पर वास्तविक प्रतिफल राशि पर ही मुद्रांक शुल्क प्रभारित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी कम्पनी भी एक सरकार की परिभाषा के अधीन ही सम्मिलित योग्य है एवं इस तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 212 सोमप्रकाश बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के मामले में दिये गये निर्णय में यह अवधारित किया जाना बताया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि प्रार्थी के समकक्ष ही भारत सरकार का अन्य कॉर्पोरेशन है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य (State) का दर्जा दिया जाना अवधारित किया गया है। प्रार्थी के इस कथन पर माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1981 सुप्रीम कोर्ट 212 के निर्णय का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लेकर हुए विवाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संविधान के अनुच्छेद-12 में दी गयी परिभाषा के तहत सम्मिलित किया जाने सम्बन्धी निर्णय किया गया था, जो निम्न प्रकार है :-


12. In this Part, unless the context otherwise requires, "the State" includes the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India.

10. इस निर्णय में राज्य के रूप में "other Authorities under the control of Government of India के प्रावधानों की व्याख्या की गयी थी अर्थात् इस अनुच्छेद में State में Other Authorities जो Government के नियंत्रण में हो, उन्हें State की परिभाषा में सम्मिलित होने से 'State' माना गया था।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में State के तहत राज्य सरकार, संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय निकाय एवं भारत सरकार के अधीन अन्य प्राधिकरण को अनुच्छेद 12 के तहत माना था, क्योंकि इस अनुच्छेद में

Other Authorities को भी जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में है उन्हें State के रूप में निर्वहन योग्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिये उत्तरदायी माना गया था जबकि इस अधिसूचना के तहत इस अनुच्छेद के भीतर परिभाषित केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा की जाने वाले विक्रय संव्यवहारों पर ही रियायत दी गयी है न कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन अन्य नियंत्रित ऑथोरिटीज को यह रियायत दी गयी है। इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य या संघीय सरकार द्वारा नियंत्रित कोई भी कम्पनी या कॉर्पोरेशन के रूप में स्थापित other authorities को यह सुविधा प्रदान नहीं की गयी है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा लाभांश प्राप्त कर राजकीय नियंत्रण में व्यवसायिक कार्य किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 'सरकार' एवं सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकारी या निकाय या कोई कॉर्पोरेशन या कम्पनी अलग-अलग विधिक अस्तित्व हैं। Article 12 of Constitution of India के अनुसार 'State' की परिभाषा में 'सरकार' संसद, विधायिका एवं अन्य 'Authorities' जो सरकार के नियंत्रण में है वे सम्मिलित होते हैं अर्थात् "State" की परिभाषा में कई प्राधिकारी शामिल हैं, जिन्हें संविधान में "State" कहा गया है तथा संविधान के विभिन्न चैप्टर में 'State' का एवं Government को अलग-अलग संदर्भित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य के नियंत्रण में विभिन्न कॉर्पोरेशन या कम्पनी यथा बैंक, या ऑयल कम्पनी या अन्य कई Public Enterprises जिन पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है वे "State" की श्रेणी में रखे गये हैं न कि "सरकार" की श्रेणी में, बल्कि वे 'other authorities under the control of Government' कहलाते हैं। सामान्य रूप से भी कोई राजकीय नियंत्रण की बैंक या कॉर्पोरेशन जो कम्पनी एक्ट के तहत गठित है वे 'सरकार' नहीं है बल्कि सरकार के नियंत्रण में other authorities के रूप में संविधान के अनुसार 'State' है।

12. राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना में यदि "सरकार" एवं "सरकार के अधीन/नियंत्रित प्राधिकारी संस्थान (Authorities)" को भी यह रियायती दी जाती तो वह प्रार्थी को Authorities under the control of Government के रूप में प्राप्त हो सकती थी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में other Authorities under the control of Government को State में शामिल किया है। चूंकि उक्त अधिसूचना केवल "Government" के विक्रय विलेखों के लिये ही है न कि any other authorities under the control of Government के लिये है। इस अधिसूचना में संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन परिभाषित "State" को रियायत नहीं दी गयी है बल्कि State में सम्मिलित केवल 'सरकार' तक ही यह रियायत सीमित की है न कि सरकार एवं other authorities under the control of




लगातार.....6

Government को यह रियायत दी गयी है। इस तरह Union Government एवं State Government के विक्रय विलेखों पर यह रियायत है परन्तु Union एवं State Government के अधीन कार्यरत कम्पनी या कॉर्पोरेशन या किसी अन्य नियंत्रित संस्था को इस रियायत के लिये पात्र नहीं रखा गया है। अतः विद्वान अभिभाषक प्रार्थी कम्पनी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि उन्हें 'सरकार' मानते हुए विक्रय विलेख में अंकित राशि अनुसार ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है।

13. विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1327/2005/अजमेर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23/09/2011 में दिये गये निर्णय के अनुसार उन्हें सरकार मानने का जो तर्क दिया है वह उक्त विधिक विवेचन के आलोक में विधिसम्मत नहीं माना जाता है, अतः एकलपीठ का उक्त निर्णय प्रार्थी को कोई राहत प्रदान नहीं करता है।

14. प्रकरण में पक्षकारों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख में हस्तान्तरण राशि रुपये 9,00,000/- अंकित की गयी है, जबकि उप-पंजीयक द्वारा क्षेत्र की डी. एल.सी. अनुसार कुल मालियत रुपये 1,16,17,076/- होना प्रस्तावित किया गया है, जिसकी पुष्टि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में अभिनिर्धारित किया गया है कि :-

"We are of the opinion that the view taken by the learned single Judge as well as by the Division Bench cannot be sustained and the same is set aside. The Collector shall determine what was the valuation of the instrument on the basis of the market value of the property at the date when the document was tendered by the respondent for registration, and the respondent shall pay the stamp duty charges and surcharges, if any, as assessed by the Collector as per the provisions of the Act."

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा सम्पत्ति के विक्रय दस्तावेज के पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की दिनांक की डी.एल.सी. दर के आधार पर सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू (मालियत) निर्धारित की जावेगी।

16. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोजकुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010 (2) RRT 731 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विक्रय दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित की जाकर तदनुसार देय मुद्रांक/पंजीयन शुल्क वसूल किया जाकर ही पंजीबद्ध किया जा सकता है।




लगातार.....7

17. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह मत प्रतिपादित किया जा चुका है कि किसी भी सम्पत्ति की मालियत की गणना उसके विक्रय विलेख पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को प्रचलित डी.एल.सी. दर से ही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में उप-पंजीयक द्वारा क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर से गणना करते हुए मालियत प्रस्तावित किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा तदनुसार मालियत का निर्धारण करते हुए कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की मांग सृजित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।
18. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति लम्बे समय से किराये पर होने से इसकी मालियत की गणना अविवादित सम्पत्ति के लिये निर्धारित डी.एल.सी. दर से नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में यह निर्विवादित है कि प्रश्नगत सम्पत्ति प्रार्थी कम्पनी के ही किरायेदारी में थी तथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रय करने के आधार पर सम्पत्ति का किसी अन्य पुराने किरायेदार से न तो कब्जा प्राप्त किया जाना है एवं न ही सम्पत्ति को विवादित माना जा सकता है। इसलिए इस आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत कम होने अथवा खाली सम्पत्ति के बराबर नहीं होने सम्बन्धी प्रार्थी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।
19. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर प्रार्थी कम्पनी 'सरकार' की परिभाषा में कवर नहीं होने के कारण उसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 का लाभ देय नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में प्रार्थी कम्पनी द्वारा क्रीत सम्पत्ति की मालियत की गणना क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दरों से ही जा सकती है। अतः उप-पंजीयक द्वारा तदनुसार मालियत प्रस्तावित करते हुए रेफरेंस प्रेषित किये जाने में एवं कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा तदनुसार मालियत का निर्धारण करते हुए मांग सृजित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।
20. परिणामस्वरूप, प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है एवं कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 31.12.2005 की पुष्टि की जाती है।
21. निर्णय सुनाया गया।

( मदन लाल मालवीय )  
सदस्य

( के. एल. जैन )  
सदस्य